सं.14/5/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को आयोजित होने के लिए निर्धारित 5वीं बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची अग्रेषित करना।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने के लिए निर्धारित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची की मदों की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि

ह./-
(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी** [**सदस्य (सीमाशुल्क)**], **वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी** [**सदस्य (आयकर)**], **वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/ जेपीएम के निजी सचिव, निदेशक (एमवी) के निजी सचिव; उपसचिव (टीवीआर) के निजी सचिव।

ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 5वीं बैठक (2015 श्रृंखला) की दिनांक 20.12.2015 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होने वाली बैठक के लिए कार्यसूची।

5.1 (15) दिनांक 09.10.2015 को आयोजित बीओए की चौथी बैठक (2015 श्रृंखला) के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 09.10.2015 को आयोजित बीओए की चौथी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन कर दिया।

5.2 (15) मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स, केएएसजेड के तहत जामनगर में एक ईओयू- एलओपी के विस्तार/नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव।

स्विचिंग, क्नेक्शन करने, स्विच, प्लग, सॉकेट, जंक्शन बॉक्स, इन्गाट्स बिलेट्स/ग्रैन्यूल जैसे बिजली के सर्किट की रक्षा करने के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्टॉनिक उपकरण के लिए पीतल के पार्ट्स टेबल रसाई या अन्य घरेलू सामान आदि के निर्माण और निर्यात के लिए इस इकाई को वर्ष 2004 जिंक के कास्ट/रॉड्स/पाइप्स/प्रोफाइल 2500 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के एलओपी दिया गया था। इकाई ने 02.04.2005 को उत्पाद शुरू किया और उनका एलओपी 01.04.2010 तक वैध था।

इस यूनिट ने दिनांक 01.09.2009 को डिबाइडिंग के लिए आवेदन किया था लेकिन इकाई ने न तो डिबांडिंग प्रक्रिया को पूरा किया है और न ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर एलओपी के विस्तार के लिए आवेदन किया।

अपने एलओपी की समाप्ति के 4 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद इस यूनिट ने दिनांक 07.05.2014 के पत्र के तहत अपने एलओपी का नवीनीकरण करने के लिए आवेदन किया। इस एमओपी का विस्तार 5 साल के दो ब्लॉकों अर्थात् 02.04.2010 से 01.04.2015 और 02.04.2015 से 01.04.2020 तक करने के लिए प्रस्ताव बीओए के विचार के लिए डीसी, केएसईजेड द्वारा अग्रेषित किया गया। 09.05.2015 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) में बीओए ने इस मामले पर विचार किया और मामला वापस डीसी, केएएसजेड को देने का फैसला किया और मामले की पुन: जांच करने और एफटी (डी एंड आर) के प्रावधानों के अनुसार इकाई के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और तदनुसार कार्यवाही का निर्णय लेने का निदेश दिया।

तदनुसार, डीसी, केएएसईजेड 5 साल की दूसरी ब्लॉक अवधि के लिए यानी 2010-11 से 2014-15 तक निर्धारित एनएफई की पूर्ति न करने के लिए 18.06.2015 का एक एससीएन जारी किया। इस मामले को 20.08.2015 के डीसी के आदेश के अनुसार 10,000/-रुपये, जो यूनिट ने 30.09.2015 तक अदा कर दिया, का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए एक आदेश दिया। अब, इकाई ने अपने एलओपी के नवीनीकरण के लिए अनुरोध किया, ताकि वे अपने व्यापार को फिर से स्थापित कर सकें और मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमा सकें।

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान : एचबीपी के पैरा 6.1 (i) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार :

....."जहां कोई यूनिट ऊपर यथानिर्धारित के अनुसार छह माह की समाप्ति के उपरांत अपना व्यवसाय जारी रखने का विकल्प देती है, तो विकास आयुक्त, अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात विस्तार प्रदान करेगा।"

डीसी के सिफारिश : डीसी ने यूनिट के एलओपी का विस्तार एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.01 (i) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार तीसरी ब्लॉक अवधि अर्थात 02.04.2015 से 01.04.2020 तक के लिए करने हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया।

5.3 (15) मैसर्स रॉमिन खनन और उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, केएएसजेड के तहत जामनगर स्थित एक ईओयू – ईओयू योजना से बाहर निकलने से पहले इति स्टॉक को निर्यात करने के लिए सीमित/ विशिष्ट उद्देश्य के लिए एलओपी के विस्तार/नवीकरण के लिए प्रस्ताव।

इकाई को ओखा पोर्ट एरिया, ओखा जामनगर में बॉक्साइड अयस्क से उत्पादित यांत्रिक रूप से क्रस्ड और स्क्रीन बेनिफिक्टेड बॉक्साइड के विनिर्माण और निर्यात के लिए 30.07.2001 को एलओपी जारी किया गया था।

एनएफई उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस एलओपी की वैधता डीसी, केएएसजेड द्वारा दिनांक 05.11.2013 तक बढ़ा दी गई थी। इकाई ने दिनांक 02.09.2013 के पत्र के तहत ईओयू स्कीम से बाहर निकलने के लिए डीसी, केएएसईजेड से अनुरोध किया, लेकिन बाहर निकलने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे।

इस इकाई ने दिनांक 11.08.2014 और 19.10.2015 के पत्र के तहत केवल ईओयू स्कीम से बाहर निकलने से पहले इति स्टॉक का निर्यात करने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए उनके एलओपी के विस्तार के लिए अनुरोध किया। इकाई ने 90 दिनों के विस्तार की मांग की (जिस तारीख से इस तरह के विस्तार के बारे में सूचित किया गया)। क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने ईओयू योजना से बाहर निकलने से पहले के इति स्टॉक को निर्यात करने के केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस एलओपी को विस्तारित करने के लिए नोटिस जारी किया।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एचबीपी के पैरा 6.01(i) में निहित प्रावधान के अनुसार :

".....जहां इकाई ने उपरोक्त निर्धारित छह महीने की समाप्ति के बाद अपना काम जारी रखने का विकल्प दिया है, वहां डीसी, बीओए की मंजूरी मिलने के बाद विस्तार प्रदान करेगा।"

डीसी की सिफारिश : डीसी ने 06.11.2013 से 31.03.2016 तक एलओपी का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

5.4 (15) मैसर्स डायमंड बायो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, सीप्ज के तहत थाणे स्थित एक ईओयू – अधिक एलओपी की वैधता का 6 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए प्रस्ताव।

इस यूनिट का इंजेक्टेबल्स : लिक्विड, एम्पैल्सि, वायल्स :- एमिकसिन इजेक्शन 100 एमजी/2एमएल, 250 एमजी/2 एमएल आदि और इंजेक्टेबल्स : शुष्क पावडर वायल्स एम्पैल्स का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए दिनांक 20.02.2009 को एलओपी जारी किया गया था।

इकाई ने 16.02.2015 को एलओपी के नवीनीकरण के लिए डीसी सीप्ज को यह सूचित करते हुए आवेदन किया कि महत्वपूर्ण मशीनरी की आपूर्ति में विलंब वित्तीय समस्या और समय से अधिक देरी होने के कारण, वे 3 साल के भीतर यानी निर्धारित समय के भीतर अपने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर सके। एलओपपी को डीसी, एसईईपीजेड द्वारा निम्नानुसार बढ़ाया गया था :

किस्त	अनुमति की तारीख	तक वैध है	वैधता की अवधि
एलओपी दिया गया	29.02.2009	19.02.2012	3 वर्ष
पहला विस्तार	03.02.2012	20.02.2013	1 वर्ष
दूसरा विस्तार	20.05.2013	20.02.2014	1 वर्ष

तीसरा विस्तार	17.04.2014	19.02.2015	1 वर्ष

यूनिट ने यह भी बताया कि उन्होंने 10.01.2014 को परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है, तथापि वाणिज्यिक उत्पाद शुरू करने से पहले, उन्हें अपने संयंत्र को सत्यापन के लिए पेश करना है और आवश्यक संचालन अनुमोदन प्राप्त करना है जो एफडीआई तथा डब्ल्यूएचओ मानकों द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार, इकाई ने एक वर्ष यानि दिनांक 19.02.2016 तक एलओपी का विस्तार करने का अनुरोध किया है।

सहायक आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क थाणे-2 ने दिनांक 08.06.2015 के पत्र के माध्यम से एसईईपीजेड को सूचित किया कि कारखाने के परिसर में उत्पादन के लिए मशीनरी स्थापित कर दी गई है और इकाई ने दावा किया है कि परीक्षण चालन दिनांक 14.01.2014 को पूरा हो गया है और नमूने मैसर्स सोकोम्ड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की दिनांक 24.01.2015 को और मैसर्स एबैक्स फार्मा (अफ्रीका लिमिटेड को दिनांक 18.01.2015 को [(मैसर्स हेमिस ट्रेडिंग कंपनी अंधेरी (पूर्व) के माध्यम से)] प्रेषित कर दिए हैं।

वर्ष 2015 तक स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की कुल खरीद 836.60 लाख रुपये थी।

एफटीपी के प्रासंगिक प्रावधान : चूंकि इकाई को एफटीपी 2009-14 के पैरा 6.6.1(क) के अनुसार 3 वर्षों के शुरूआती वैधता के अतिरिक्त डीसी द्वारा तीसरे वर्ष के लिए भी एलओपी का विस्तार दिया गया, इसके अतिरिक्त, एलओपी का विस्तार एफटीपी 2015-20 के पैरा 6.05(क) के अनुसार बीओए द्वारा दिया जा सकता है।

डीसी की सिफारिश : डीसी ने इकाई के एलओपी के विस्तार के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

5.5 (15) मैसर्स एशियन टिम्बर एस्टेट्स : वीएसईजेड के तहत एक ईओए – एलओपी की वैधता का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव।

इस इकाई को तेलंगाना के मेढ़क जिले में लकड़ी की कटाई करने, प्लेनिंग करने, फिंगर प्वाइंटिंग करने और मोल्डिंग को विनिर्माण एवं निर्यात करने के लिए 17.07.2007 को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने 19.11.2007 को उत्पादन शुरू किया और एलओपी 18.11.2012 को समाप्त हो गया।

10.03.2015 के पत्र के अनुसार यूनिट ने एलओपी की वैधता के विस्तार की मांग में देरी को माफ करने के लिए अनुरोध किया और सूचित किया कि वे ज्ञान और सूचना की कमी के कारण एलओपी के लिए आवेदन करने में असमर्थ थे। अब, इकाई एक ईओयू के रूप में जारी रखना चाहती है और निर्यात आदेश रखेगी।

यूनिट को 15.09.2015 की एससीएन जारी की गई क्योंकि इकाई ने सांविधि रिपोर्ट को जमा करने में देरी के लिए एफटीपी/एलओपी/एलयूटी के प्रावधानों का उल्लंघन किया और समय पर एलओपी विस्तार की मांग नहीं की। एससीएन का निर्णय 13.10.2015 को किया गया था और इकाई ने दिनांक 16.10.2015 को 40,000 रुपये का जुर्माना उक्त एससीएन में लगाया गया।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एचबीपी के पैरा 6.01(i) में निहित प्रावधान के अनुसार :

".....जहां इकाइयां उपरोक्त निर्धारित छह महीने की समाप्ति के बाद जारी रखने का अपना विकल्प देती है वहां डीसी बीओए की मंजूरी मिलने के बाद विस्तार प्रदान करेगा"।

डीसी की सिफारिश : डीसी ने इस इकाई के एलओपी का 19.11.2012 से 18.11.2012 तक विस्तार के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है, क्योंकि इसने 19.11.2001 से 128.11.2012 तक की 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए सकारात्मक एनएफई हासिल किया है।

5.6 (15) मैसर्स रावेची फ्लेरिटेक प्राइवेट लिमिटेड, एसईईपीजेड के तहत रायगढ़ स्थित एक ईओयू – एलओपी के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव।

इस इकाई को कट फ्लॉर्स, गुलाब, सब्जियों और फलों के निर्माण और निर्यात के लिए रायगढ़ में एक ईओयू की स्थापना करने के लिए दिनांक 09.01.1998 को एलओपी जारी किया गया था। इकाई ने 24.01.2004 को अपना उत्पादन शुरू किया। आवेदन के देर से जमा होने के कारण 14.09.2012 को आयोजित बैठक में बीओए द्वारा यूनिट के 2009-10 से 2013-14 की दूसरी ब्लॉक अवधि के लिए विस्तार का प्रस्ताव पर विचार किया गया था। बीओए का विचार निम्नानुसार है :

"यूनिट का अनुरोध बीओए द्वारा विचार किया गया था। डीसी द्वारा किए गए सबमिशन के प्रकाश में कि इसके उत्पादों के निर्यात में इकाइयों द्वारा सामना किए जाने वाले अवरोध को अब हल कर दिया गया है और यह कि इकाई ने सकारात्मक नतीजे का आश्वासन दिया है, बीओए ने दिनांक 01.04.2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण को मंजूरी इस शर्त पर दे दी है कि इकाई को तब तक कोई और आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वह एनएफई सकारात्मक मानदंडों को पूरा न कर ले।

इस यूनिट ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए प्रक्षेपण के संशोधन सहित दिनांक 24.01.2014 के पत्र के अनुसार अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए एलओपी जारी रखने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायगढ़ ने दिनांक 29.07.2010 के आदेश के तहत, 3,37,20,021 रुपये की शुल्क मांग की सम्पुष्टि की और इसके बराबर ही जुर्माना लगाया।

तथापि, यूनिट द्वारा दायर अपील पर माननीय सेस्टेट मुंबई ने दिनांक 26.03.2013 के आदेश के अनुसार, इस मामले को आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायगढ़ को नए सिरे से निर्णय देने के लिए यह कहते हुए भेज दिया कि एलओपी की अवधि 2013-14 तक बढ़ायी गई थी। इसके अलावा, नए सिरे से की गई कार्रवाई के दौरान इकाई ने अनुरोध किया कि चूंकि एलओपी के विस्तार के लिए उनका अनुरोध लंबित है, इसलिए नए सिरे से शुरू की गई कार्यवाही लंबित रखी जा सकती है जब तक कि एलईपी के विस्तार पर अंतिम निर्णय सीप्ज द्वारा नहीं ले लिया जाता है।

इकाई के प्रस्ताव पर 01.01.2015, 08.07.2015 को आयोजित बैठक में यूनिट स्वीकृति समिति द्वारा विचार किया गया था, हालांकि, दोनों बैठकों में यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था और इाकई को प्रक्षेपण विवरण और प्रवाह चार्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था।

प्रस्ताव को दिनांक 27.10.2015 को आयोजित बैठक में यूएसी के समक्ष रखा गया था। समिति के सदस्यों ने निम्न बिदुओं पर ध्यान दिया :

(i) **हालांकि यूनिट का एलओपी समाप्त हो गया है, फिर भी इकाई उत्पाद का निर्यात कर रही है। उन्होंने दिनांक 01.04.2015 से लगभग 24.26 लाख रुपये का निर्यात किया है।**

वर्ष	निर्यात (अमरीकी डालर में)
2013-14	942.50

2014-15	**1,500.70**
2015-16	**14,829.00**
कुल	**17,272.20**

इकाई ने 10 संभावित खरीदारों जो आस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, नीदरलैंड में हैं, संभावित खरीदारों की सूची भी प्रस्तुत की है।

(ii) **अपर आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायगढ़ ने अभिमत व्यक्त किया कि इस इकाई को 1998 में एलओपी दिया गया था और आज तक निर्यात का नणग्य मूल्य है जो बहुत खराब प्रदर्शन प्रतीत होता है। इकाई में व्यवहार्य परियोजना नहीं है और वे सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। एससीएन कम मांग नोटिस उनके द्वारा जारी किया गया है और 3.37 करोड़ रुपये का राजस्व लॉक-अप हो गया है। चूंकि, इकाई में व्यवहार्य परियोजना नहीं है, इसलिए इस इाकई को एलओपी का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।**

(iii) **समिति के सदस्यों ने यह विचार रखा कि इस इकाई को एलओपी जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया जा सकता है ताकि वे अपनी निर्यात गतिविधि जारी रख सकें और एफटीपी/एचबीपी की शर्तों को इस शर्त के अधीन पूरा कर सकें, कि उन्हें आरएम के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।**

(iv) **समिति ने नोट किया कि एसईजेड अधिनियम के अनुसार, "अगर स्वीकृति समिति आम सहमति से किसी भी मामले का फैसला करने में असमर्थ है, तो इस मामले को बीओए को अपने फैसले के लिए संदर्भित किया जाएगा।" चूंकि एलओपी का नवीकरण किए जाने पर कोई सहमति नहीं थी, समिति ने एसईजेड अधिनियम में निर्धारित सिद्धांत को लागू किया और निर्णय लिया कि प्रस्ताव को विचाराधीन बीओए को भेजा जा सकता है।**

(v) **यह भी कहा गया है कि इकाई का उत्पाद एक नवजात है जो पूरी तरह से जलवायु आदि जैसी परिस्थितियों पर निर्भर है। इसलिए, परियोजना की व्यवहार्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, एलओपी का विस्तार न किया जाना भी बकाया राशि की वसूली के लिए संभव नहीं होगा। विस्तार प्रदान करने से न केवल एनएफई सुनिश्चित होगा बल्कि इकाई की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और बकाया राजस्व राशि का भुगतान भी होगा। हालांकि विस्तारित एलओपी अवधि के दौरान कोई और आयात लाभ दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।**

विदेश व्यापार नीति के संगत प्रावधान :

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05(क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यूनिट द्वारा एक बार उत्पादन प्रारंभ कर दिए जाने के बाद जारी किया गया एलओपी/एलओआई इसके क्रियाकलापों के लिए पांच वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है।

विकास आयुक्त की सिफारिश : विकास आयुक्त ने एलओपी का नवीकरण दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए किए जाने के इस यूनिट के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने की सिफारिश की है।

5.7 (15) वड़ोदरा स्थित एक ईओयू मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बड़ोदरा स्थित एक ईओयू मैसर्स सैन पॉलीप्लास्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ – दो प्लास्टिक पुनर्चक्रण ईओयू का विलयन करने के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सैन पॉलीप्लास्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक कचरे/स्क्रैप के निर्माण में लगे हुए हैं और उनके एलओपी का अगले पांच वर्षों तक अर्थात 31.12.2019 और 01.10.2019 तक अनुमोदन बोर्ड द्वारा विस्तार कर दिया गया है। इन इकाइयों ने विलय के लिए अनुरोध किया है।

एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.34 (10) के अनुसार डीसी दो या दो से अधिक इकाइयों का एक यूनिट में विलयन करने की अनुमति दे सकती है बशर्ते कि वे इकाइयां उसी डीसी के क्षेत्राधिकार में आती हो। यह इस शर्त के अधीन होगा कि गतिविधियों को व्यापक बैंडिंग के प्रावधान के तहत कवर किया गया है।

चूंकि यह दोनों इकाइयों समान वसतु का निर्माण कर रही हैं, इसलिए, डीसी को एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.34(10) के तहत इन दोनों ईओयू के विलयन की अनुमति देने के लिए अधिकार है तथापि, चूंकि ये इकाइयां प्लास्टिक कचरे/स्क्रैप आयात कर रही हैं, और उनके एलओपी के विस्तार बीओए द्वारा किया गया है इसलिए इन इकाइयों को विलय के लिए इकाइयों का अनुरोध डीओसी केएएसईजेड/ बीओए को विचाराधीन भेजा गया है।

डीसी, केएएसईजेड ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया कि इस मामले में, कुल संयंत्र क्षमता में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी, और दोनों इकाइयां उनके मौजूदा एलओपी के अनुसार है। मैसस सैन पॉलीप्लास्ट ने 01.10.2014 से लेकर इस समय तक विलय के लिए अनुमति की इच्छा के लिए कोई भौतिक निर्यात गतिविधि नहीं का है। मैसर्स ऐश्वर्या पॉलीप्लास्ट को अपने एलओपी के अनुसार, पहले वर्ष में 80 प्रतिशत भौतिक निर्यात की स्थिति प्राप्त करनी होगी।

5.8 (15) मैसर्स बॉडीगियर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई जानवरों कीड़ों बैग, पिलोज और प्राणियों के प्लश खिलौने के निर्यात के लिए एमईपीजेड के तहत चेन्नई में एक 100 प्रतिशत ईओयू की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव।

इकाई ने जानवरों, कीड़ों, बैग्स, तकियों और प्राणियों के आलीशन खिलौने बनाने और निर्यात करने के लिए वनगाराम ग्राम, चेन्नई में 750000 पीसों के उत्पादन की वार्षिक क्षमता से एक 100 प्रतिशत ईओयू स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।

यह इकाई संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएस आधारित एक खिलौना कंपनी के एंड एम इंटरनेशनल इंक की सहायता कंपनी है और इस समय इसके कोच्चि, केरल और कोयम्बटूर में कारखाना मौजूद हैं। कंपनी के पास कोयम्बटूर में मौजूदा ईओयू है जो 07.02.2003 दिनांकित की एलओपी के साथ आलीशन खिलौनों के निर्माण और निर्यात के लिए है और उसने वर्ष 2014-15 के दौरान 474.77 लाख रुपये का निर्यात किया है।

संयंत्र और मशीनरी में अनुमानित निवेश 70 लाख रुपये है और पहले पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित एनएफई 955.08 लाख रुपये है।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एफटीपी के पैरा 6.06 में निहित प्रावधान के अनुसार, बीओए 1 करोड़ रुपये से कम के निवेश के लिए मानदंडों के अनुरूप ईओयू की स्थापना करने के लिए अनुमति दे सकता है।

डीसी की सिफारिश : डीसी ने बीओए द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव को अग्रेषित कर दिया है।

5.9 (15) एनएसईजेड के तहत उदयपुर में स्थित एक ईओयू मैसर्स जैन ग्रानी मर्मो प्राइवेट लिमिटेड – डीटीए में अस्वीकृत एवं अपशिष्ट/करतन का निपटान करने के लिए अनुमति।

यह यूनिट उदयपुर स्थित मारबल स्लैब्स, टाइल्स और ड्रेस्ड मारबल ब्लाक्स के निर्माण के लिए एक 100 प्रतिशत ईओयू है। संगमरमर ब्लॉक। एफटीपी 2009-14 के प्रावधानों के अनुसार, पैरा 6.8(ए) और (एच) के अनुसार डीटीए में संगमरमर की बिक्री प्रतिबंधित है। इकाई ने डीटीए में अस्वीकृत और अपशिष्ट के निपटान के स्तर में वृद्धि के लिए उनके अनुरोध की बीओए द्वारा अस्वीकृत के बाद दिए जाने के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। जोधपुर माननीय, उच्च न्यायालयने दिनांक 23.11.2012 और 18.09.2014 के अनुमोदन बोर्ड के आदेश की एक तरफ रखते हुए दायर की गई रिट याचिका संख्या 8928/14 पर 05.08.2015 दिनांकित अपना फैसला दिया है। इस निर्णय का ऑपरेटिव भाग अधोलिखित है।

"रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए यह मामला स्वीकृति बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए और विदेश व्यापार नीति के खंड 6.8(डी) और 6.8(ई) को ध्यान में रखते हुए मामले पर फिर से निर्णय लिया जाना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि बोर्ड इस फैसले के प्रति प्राप्त होने के एक महीने की अवधि के भीतर उस मामले पर निर्णय लेगा।

माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार डीटीए में अस्वीकृतियों और अपशिष्ट/कतरन का निपटान करने के स्तर की वृद्धि करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को ईओयू के लिए अपनी दिनांक 27.09.2015 को आयोजित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) में बीओए के साथ रखा गया था। बीओए का निर्णय नीचे के रूप में पुन: प्रस्तुत किया जाता है :

"बोर्ड ने उदयपुर स्थित मैसर्स जैन ग्रानी मर्मो प्राइवेट लिमिटेड नामक एक ईओयू डीटीए में स्वीकार और अपशिष्ट/स्क्रैप के निपटारे के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया और विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने प्रस्ताव को डीजीएफटी की मानदंड समिति के समक्ष अपशिष्ट मानदंडों का निर्धारण करने के लिए संदर्भित करने का फैसला किया।"

तदनुसार, एफटीपी 2015-20 के पैरा 6.8(डी) के संबंध में, इस मामले को डीजीएफटी को 11.09.2015 के डीओसी के पत्र के रूप में संदर्भित किया गया था क्योंकि डीजीएफटी एफटीपी 2015-20 पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। 28.09.2015 को ओएम के माध्यम से डीजीएफटी ने उत्तर दिया कि डीटीए में संगमरमर के रिजेक्ट्स की बिक्री करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह भी कहा गया था कि :

".....पैरा 6.8(डी) के तहत भी की गई डीटीए बिक्री यदि नीति के पैरा 6.8(ए) में बताई गई डीटीए बिक्री के दायरे में भी आती है जो खुद ही" संगमरमर की डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं देती है। 6.8 (डी) के तहत रिजेक्टस की बिक्री की अनुमति केवल उन इकाइयों को दी जाती है जो 6.8(ए) के तहत डीटीए में माल बेचने की हकदार हैं और चूंकि संगमरमर की डीटीए बिक्री 6.8(ए) के तहत प्रतिबंधिति है, संगमरमर की रिजेक्ट्स की पैरा 6.8(डी) के तहत डीटीए बिक्री भी नहीं हो सकती है।"

अपशिष्ट मानदंडों के निर्धारण के संबंध में यह मामला 02.09.2015 को मानदंड समिति, डीजीएफटी को भेजा गया था। मानदंड समिति ने 30.09.2015 को आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया और दिनांक 04.11.2015 के अनुसार अपने कार्यवृत्त को वाणिज्य विभाग को प्रेषित कर दिया। समिति ने फर्म द्वारा प्रदान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़ों और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रदान की गई लिखित सिफारिशों पर विचार करने के बाद, डीआईपीपी की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया और अकेले अपशिष्ट की प्रक्रिया के लिए और न किरिजेक्ट्स अस्वीकार या किसी अन्य सामग्री के लिए नीचे दिए गए मानदंडों को निर्धारित किया :

क्र.सं.	इनपुट	उत्पादन	अपशिष्ट की सिफारिश

1.	स्वदेशी ब्लॉक (अनियमित, असमान आकार)	असहज संगमरमर स्लैब	34 प्रतिशत
2.	आयातित ब्लॉक (नियमित आकार)	असहज संगमरमर स्लैब	10 प्रतिशत
3.	असहज संगमरमर स्लैब	पॉलिश संगमरमर स्लैब/ टाइल्स	2 प्रतिशत
4.	कच्चे ग्रेनाइट टाइल्स	पॉलिश ग्रेनाइट टाइल्स	3 प्रतिशत

यह विभाग रिजेक्ट्स की डीटीए बिक्री के संबंध में 28.09.2015 के ओएम के तहत प्रेषित डीजीएफटी के विचारों तक मानदंड समिति द्वारा तय किए गए 04.11.2015 के ई-मेल के माध्यम से प्रेषित अपशिष्ट मानदंडों से सहमत है।

चूंकि इस मामले में तात्कालिकता थी और अदालत की अवमानना से बचने के लिए बीओए के अध्यक्ष के रूप में वाणिज्य सचिव की मंजूरी के साथ उपर्युक्त स्थिति को डीसी, एनएसईजेड को भेजा गया। एनएसईजेड ने इस स्थिति को 16.11.2015 के पत्र के साथ इस इकाई को प्रेषित की।

उपरोक्त निर्णय की पुष्टि के लिए बीओए के समक्ष मामला रखा गया है।

भाग-II

वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	जुलाई, 2014 से सितम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	के ए एस ई जेड
ख	अक्तूबर, 2015 से नवम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है	एफ एस ई जेड
ग	सितम्बर, 2015 से नवम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	वी एस ई जेड
घ	सितम्बर, 2015 से अक्तूबर, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एम ई पी जेड